

15.01 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'
BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-SIXTH REPORT

MR. DEPUTY SPEAKER : We now take up Private Members' Business. Shri Chandradeo Prasad Verma.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 'यह सभा 28 जुलाई, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Forty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th July, 1982."

The motion was adopted.

15.02 hrs.

RESOLUTION RE : STEPS TO PRO-
MOTE SECULAR OUTLOOK IN THE
COUNTRY—CONTD.

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will now take up further discussion on the following resolution moved by Shrimati Vidya Chennupati on 23rd April 1982;

"Keeping in view the secular character of our Constitution and the fact that secularism is one of the basic tenets of our State Policy, this House recommends to the Government to take immediate steps to :—

- promote a sense of castelessness through intercaste and inter-religion marriages;
- prepare suitable text books to propagate secular ideas by laying emphasis on fundamental duties enshrined in the Constitution;
- encourage secular outlook among the employees working in Government and Public Sector Undertakings;

so that a feeling of national brotherhood and of human dignity is promoted among the people."

Shri K. M. Madhukar to continue his speech. He will be the last speaker and immediately after him, the Minister will intervene and the mover will reply.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली दफा कहा था—भारत के संविधान में धर्मनिर्पेक्षता, जनतंत्र और समाजवाद की व्यवस्था करने के बावजूद आजादी के 34 सालों के बाद भी इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी है। यह इस बात का द्योतक है कि पिछले 34 सालों में हमने इस समस्या का हल नहीं किया है। भारत का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि भारत की संस्कृति एक मिली-जुली संस्कृति रही है, इसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी जातियों का योगदान रहा है। इसी लिए भारत के संविधान में धर्मनिर्पेक्षता का विशेष रूप से उल्लेख है। लेकिन आज हालत क्या है? हालत यह है कि आज धर्म-निर्पेक्षता के सिद्धांत पर कुठाराघात हो रहा है, इस पर काफ़ी चोटें पड़ रही हैं खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमायते-इस्लामी—ये दो संस्थाएँ ऐसी हैं जो देश की राष्ट्रीय गति को भंग करने पर तुली हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं—इस इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं ये विघटनकारी प्रवृत्तियाँ हिन्दू और मुसलमानों में भेद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, एक तरफ हिन्दू राष्ट्र की कल्पना है और दूसरी तरफ उनके अनुसार मुसलमानों को पूरे हुकूक नहीं मिल रहे हैं। सही मायनों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमायते-इस्लामी दोनों के मोर्चे एक हैं कि हिन्दुस्तान का फिर से विभाजन किया जाए, यहां हिन्दू राष्ट्र बने, यहां मुसलमान राष्ट्र बने। यह कितनी खतरनाक चीज है। पंजाब से आज खालिस्तान की आवाज उठ रही है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से पृथकवादिता की आवाज उठ रही है। इस पर गृह मंत्री जी और भारत सरकार नहीं सोचते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक हिन्दुस्तान में जो इतिहास लिखे गए उनमें हिन्दुस्तान के इतिहास की सही व्याख्या नहीं दी गई। उनमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि हिन्दुस्तान पर मुसलमान आक्रमण करने आए और हम पर आक्रमण किया गया, वे आक्रामक थे, एक तरफ से सही बातों को गलत ढंग से पेश किया जाता है, जिस की वजह से हिन्दू